न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

निगरानी संख्या 11/2019 तारीख रजू 24.09.2019

1. गोपीराम पुत्र कोरया जाति बैरवा निवासी बालेर तहसील खण्डार
2. सोनी देवी पत्नी गोपीराम जाति बैरवा निवासी बालेर तहसील खण्डार

..........निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. रामदयाल पुत्र काना जाति जाट निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार
2. बदरी पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार
3. सरपंच ग्राम पंचायत बालेर तहसील व पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री श्याम मोहन शर्मा एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री हरिमोहन जाट एडवाकेट

निर्णय

दिनांक 16/8/22

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बालेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत बालेर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 07–01–2001 मौके की स्थिति देखे बिना तथा अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 से साज कर बिना किसी प्रकार की कार्यवाही सम्पादित किये कार्यालय में बैठकर आपत्ति पट्टा जारी किया है। यह है कि वास्तविकता में उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.01.1988 को प्रार्थी नं0 1 के पक्ष में जारी किया गया तथा उक्त पट्टे के अनुसरण में रकम रू. 1677/– जमा करवाकर विधिवत तरीके से दिनांक 05.01.1988 को पट्टा प्राप्त किया है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड में नींव खुदवा दी थी तथा आज भी उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा ग्राम पंचायत बालेर द्वारा बिना मौके कब्जे की जांच के प्रार्थी के भूखण्ड का पुनः अप्रार्थीगण के पट्टा जारी कर दिया जो खिलाफ कानून तथा न्यायिक प्रकिया का उल्लंघन है। यह है कि प्रार्थी को जारी पट्टे की सीमा, पूर्व में रोड, पश्चिम में रास्ता खाली जमीन, उत्तर में हीरया बैरवा का [illegible] तथा दक्षिण में हजारी कोली का भूखण्ड था, इन सीमाओं के मध्य प्रार्थी को 11X[illegible] साइज का भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया था तब से लेकर आज तक प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज है। अप्रार्थी सं0 3 द्वारा साज कर प्रार्थी के भूखण्ड को हडपने की [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] धीन पट्टा [illegible] किया है जो न्याय संगत नहीं है। प्रार्थी का पट्टा आज भी वि[illegible] है। अप्रार्थीगण को [illegible] जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया है ना ही कोरम की सहमति ली गयी

hs

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested

है, ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अप्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने की गरज से यह पट्टा जारी किया है जो खिलाफ कानूनन होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्याायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2001 के द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने बहस तर्क दिया कि निगरानीकर्त्ता ने ग्राम पंचायत बालेर के आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2001 द्वारा जारी पट्टा को निरस्त कराने बाबत निगरानी प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी वकील द्वारा बहस के दौरान यह कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश अप्रार्थीगण द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बालेर से साज कर कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया है जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में उक्त भूखण्ड का पट्टा सं0 4 दिनांक 05.1.1988 को गोपीराम पुत्र कोरया बैरवा के पक्ष में जारी किया गया था तथा उक्त आदेश के अनुसरण में प्रार्थी गोपीराम ने रू. 1677/– जमा करवा उक्त भूखण्ड पर नींव खुदवाकर जमीन के दो फीट ऊपर बाउण्डरी कर दी थी जिस पर वह आज भी काबिज है। प्रार्थीगण रामदयाल को दिनांक 5.1.88 को जारी पट्टा आज दिनांक तक अस्तित्व में है। कानूनन रूप से एक बार जारी किये गये पट्टे को जब तक कानूनी प्रक्रिया के तहत निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक उस भूखण्ड का पटटा किसी अन्य दीगर व्यक्ति के पक्ष में जारी नहीं किया जा सकता है किन्तु प्रार्थी संख्या 1 गोपीराम को जारी पट्टा सं0 4 दिनांक 05.01.1988 तथा चुनौतीपूर्ण पट्टा जो दिनांक 7.1.2001 को सरपंच ग्राम पंचायत बालेर द्वारा जारी किया गया है, के पृष्ठ भाग पर अंकित सीमाये पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण समान है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व मे प्रार्थी को जारी किया गया पटटा ही अप्रार्थीगण को दिनांक 7.1.01 को पुनः जारी किया गया है। दिनांक 7.1.01 को जारी पटटे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, नाही कोई पट्टा नम्बर है नाही कोई मिसल नम्बर है इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत से साज कर सम्पादित की गई है जो पूर्णतया खिलाफ कानून है। इस कारण चुनौतीपूर्ण आदेश व पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में वकील प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से जारी पट्टा संख्या 4 जारी दिनांक 07–01–2001 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि स्वयं निगरानीकर्त्ता ने विक्रय पत्र के माध्यम से अप्रार्थी को एक प्लाट 11X10 वर्ग गज रू. 9000/– लेकर बेच दिया है। अप्रार्थी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत में विधिवत तरीके से नजराना जमा करवाकर दिनांक 07.01.2001 को पट्टा प्राप्त किया है। पुनः वकील अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आक्षेप आमंत्रित करने के लिये विधिवत नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। अपनी बहस के अंत में वकील अप्रार्थी द्वारा निगरानी खारिज की जाकर उसके पक्षकार को राहत प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.01.88 जारी किया गया है तथा उक्त पटटे को विधिवत तरीके से खारिज किये बिना ही गैर निगरानीकर्ता को दिनांक 7.1.2001 को गलत पट्टा जारी किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बालेर के आदेश दिनांक 07.01.2001 के आधार पर जारी पट्टा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/8/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested